



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 545 राँची, शनिवार,

24 अगस्त, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

16 अगस्त, 2024

संचिका सं०-5/स०भू०देवघर (एस०पी० माईन्स)-75/2022-2661/रा०, --

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-07.08.2024 में मद संख्या-25 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा-खुन एवं आमडंगाल, थाना सं०-593 एवं 594, खाता सं०-40 एवं 05 के विभिन्न दागों में अंतर्निहित कुल रकबा-31.60 एकड़ गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-

I) जिला अवर निबंधक, देवघर के आदेश संख्या-**01/2022**, ज्ञापांक-**568**, दिनांक-**01.08.2022** द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का पुनरीक्षित मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार वर्तमान बाजार दर (व्यवसायिक) एवं राजस्व विभागीय संकल्प सं**0-48/रा0**, दिनांक-**03.01.2017** के आलोक में संगणित सलामी की राशि **10,62,20,240/-** (दस करोड़ बासठ लाख बीस हजार दो सौ चालीस) रुपये मात्र, सलामी का **1** (एक) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि **10,62,202/-** (दस लाख बासठ हजार दो सौ दो) रुपये, लगान का **75** प्रतिशत सेस की राशि **7,96,652/-** (सात लाख छियाणवे हजार छः सौ बावन) रुपये मात्र तथा **29** वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि **5,39,06,772/-** (पाँच करोड़ उनचालीस लाख छः हजार सात सौ बहत्तर) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **16,19,85,866/-** (सोलह करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार आठ सौ छियासठ) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) ई**0सी0एल0** चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस**0पी0** माईन्स (ई**0सी0एल0**), चितरा के साथ **30** वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि :-

1. उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
2. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा **12** माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
3. प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, **1980** के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही जंगल-झाड़ी भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई उपायुक्त, देवघर सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची निकाय से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
5. इस बंदोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029 भू-राजस्व-107"** के अंतर्गत जमा होगी।
6. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, देवघर यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
7. उपायुक्त, देवघर यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त परियोजना अंतर्गत अधियाची निकाय द्वारा जमा की गयी राशि यदि पूर्व में निर्गत राज्यादेश के अंतर्गत हस्तांतरित भूमि के मूल्य को घटाने

के उपरांत अवशेष राशि प्रस्तावित भूमि के मूल्य से अधिक/समान हो तभी लीज बन्दोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।

8. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची निकाय से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
9. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
10. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प सं0-48/रा0, दिनांक-03.01.2017 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

भगीरथ प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

राँची, दिनांक-**16.08.2024**

अनुलग्नक-।

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	रकबा(ए०मै)	भूमि का किस्म
1	04/2021-22	पालोजोरी	खुन	593	40	12	0.67	जंगल
						87	1.57	जंगल
						170	0.10	जंगल
						177	0.11	जंगल
						287/ 762	0.52	जंगल
						406	16.50	जंगल-साखु
						445	0.27	जंगल-साखु
					मौजा-खुन का कुल रकबा-		19.74	
2	03/2021-22	पालोजोरी	आमडंगाल	594	05	01	0.30	जंगल
						19	1.74	नाला
						20	2.13	जंगल
						21	2.53	जंगल-झाड़ी
						22	1.88	जंगल
						25	3.28	जंगल-झाड़ी
					मौजा-आमडंगाल का कुल रकबा-	11.86		
सकल कुल रकबा-							31.60	

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र०	अभिलेख सं०	मौजा	रकबा (एकड़)	प्रति एकड़ मूल्य	सलामी की राशि	लगान (सलामी का 1%)	सेस (लगान का 75%)	लगान एवं सेस 29 वर्षों के लिए	कुल राशि (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	04/2021-22	खुन	19.74	3361400	66354036	663540.36	497655.27	33674673.27	101189904.9
02	03/2021-22	आमडंगाल	11.86	3361400	39866204	398662.04	298996.53	20232098.53	60795961.1
dy jkf'k&					106220240	1062202.4	796651.8	53906771.8	161985866
						या	या	या	
						1062202	796652	53906772	

अर्थात कुल देय राशि 16,19,85,866/- (सोलह करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार आठ सौ छियासठ) रुपये मात्र।

सरकार के उप सचिव
